न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

मिसलनम्बर– 48 / 2025

पिन्टू आत्मज श्री बाबूलाल जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

1.बद्रीलाल पुत्र स्व0 श्री कान्हा जाति लश्करी (मेघवंशी)
2.कैलाश बाई पुत्री स्व0 श्री कान्हा स्व0 पत्नी रमेशचंद जाति लश्करी (मेघवंशी)
3.द्रोपदी बाई स्व0 श्री कान्हा, पत्नी रामप्रसाद जाति लश्करी (मेघवंशी)
4.नाथी बाई पुत्री स्व0 श्री मन्ना पत्नी रामलाल जाति लश्करी निवासी बलवंत पुरा ढाणी एदलपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

प्रार्थी।

बनाम

1.तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.कोटा विकास प्राधिकरण कोटा जर्ये आयुक्त (नगर विकास न्यास कोटा) जिला कोटा

अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 6/6/25

उपस्थितिः–

1.श्री विजय सिंघल अधिवक्ता प्रार्थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक व अनाधिकृत रूप से आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 0.21 हैक्टर अप्राथी कम 2 के नाम दर्ज कर दिया, जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का सेटल पजेशन है तथा उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के खाते दर्ज चली आ रही थी तथा दिनांक 08.08.2016 को खाते की चालू जमाबंदी की नकल निकलवाने पर उक्त आराजी प्रतिवादी कम–2 के नाम दर्ज करने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.05.2017 को न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो वाद न्यायालय में जेरकार है दिनांक 22.03.2025 को प्रतिवादी कम 2 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा उक्त वाद ग्रस्त आराजी खसरा 1122 पर अवैध व अनाधिकृत रूप से न्यायालय में नियमित वाद जेरकार होने के बावजूद निर्माण करने की नियत से 4 – 4 फुट गहरी नींव खोद दी है तथा उक्त आराजी पर निर्माण करने पर अमादा है, जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगण के खाते की आराजी है, जो अवैध व अनाधिकृत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रूप से प्रतिवादी कम–2 के खाते दर्ज की गयी है, जिस आराजी के सम्बंध में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण नियमित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है और यदि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कर आराजी के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया तो प्रार्थीगण के हितो व अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण अपनी खाते की आराजी से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थीगण का वाद ही निष्फल हो जायेगा, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को मौके पर निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किये जाने के लिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाडपुरा जिला कोटा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करने हेतु पाबन्द करने का आदेश प्रदान फरमावें तथा उक्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान फरमावें तथा प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नही करने हेतु भी अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस की गई।

बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी के कथनों की पुष्टि की जा सके। उभयपक्षकारान के हक हिस्से का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रतिपक्षी 2 के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है जिस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। चूंकि प्रतिपक्षी नं0 2 वादग्रस्त कृषि आराजी के रिकॉर्डड खातेदार है। कानून रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और रिकॉर्डड खातेदार प्रतिपक्षी नं0 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने में प्रार्थी के मुकाबले प्रतिपक्षी को ही अधिक असुविधा होगी, जिसके कारण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु ही प्रार्थी के विरूद्ध पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 6/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा